

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 462 / 12

संस्थित दिनांक-10.07.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. सुल्तानसिंह पुत्र गंभीरसिंह जाटव उम्र 22 साल
2. गंभीरसिंह पुत्र श्यामलाल जाटव उम्र 70 साल
3. रामचित्र पुत्र गंभीरसिंह जाटव उम्र 34 साल
4. रामदेवी पत्नी गंभीरसिंह जाटव उम्र 65 साल
5. सपनादेवी पत्नी रामचित्र जाटव उम्र 26 साल

निवासीगण ग्राम पढराईपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 09.01.17 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 498 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 के उपरांत से लगातार वर्ष 2015 के मध्य ग्राम पढराई का पुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर कल्पना के पति अथवा पति के नातेदार हेते हुए फरियादी के प्रति क्रूरता कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498 ए के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी कल्पना का विवाह अभियुक्त सुल्तानसिंह से दिनांक 25.04.2012 को संपन्न हुआ जिसमें फरियादी के पिता द्वारा उसकी सामर्थ्य अनुसार एक लाख साठ हजार रुपये व घर ग्रहस्थी का सामान तथा सोने की अंगूठी दी थी। शादी के बाद से ही अभियुक्तगण शादी में मोटरसाईकिल न देने के कारण फरियादी को परेशान करने लगे। दूसरी बार विदा होकर गयी तो एक मोटरसाईकिल व पचास हजार रुपये लाने को कहा तथा

मारपीट की। जब फरियादी ने उक्त बात अपने पिता को बताई तो पिता कुछ लोगों को लेकर ग्राम पढराई पुरा में पंचायत करने गए तब अभियुक्तगण ने दहेज के लिए परेशान न करने की बात कही। जब आठ दिन बाद वह अपने मायके गयी तो ससुराल वाले उसे ले गए और ससुराल में मारपीट करने लगे। सास व जिठानी उसे खाना नहीं देते थे, पति सुल्तान से मारपीट कराते थे। ससुर भी नहीं सुनते थे। वर्ष 2013 की दीवाली में मारपीट करके जेठ रामचित्र, पति सुल्तान, ननदोई रामस्वरूप छोड़ आए तब से वह पिता के यहां रहने लगी। जब शिकायत की तो अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। उक्त आशय की सूचना दी गयी जिसके आधार पर थाना अंबाह जिला मुरैना में 0/15 पर कायमी कर संबंधित अपराध थाना एण्डोरी के अधीन होने से थाना एण्डोरी के अप०क्र० 44/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए तथा बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण ने वर्ष 2013 के उपरांत से लगातार वर्ष 2015 के मध्य ग्राम पढराई का पुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर कल्पना के पति अथवा पति के नातेदार हेते हुए फरियादी के प्रति क्रूरता कारित की। ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में कल्पना अ०सा० 1, वीरेन्द्र अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी कल्पना अ०सा० 1 यह कथन करती है कि अभियुक्त सुल्तान उसका पति, गंभीर व रामदेवी उसके सास ससुर तथा रामचित्र व सपना उसके जेठ व जिठानी हैं। उसका आरोपीगण से घरु कार्य के उपर से मुंहवाद हो गया था और उस पर ही आरोपीगण से कहासुनी हो गयी जिसकी उसने थाना अंबाह जिला मुरैना में रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताती है। किन्तु अपने मुख्य परीक्षण में किसी भी अभियुक्त के द्वारा उसे दहेज की मांग के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। वीरेन्द्रसिंह अ०सा० 2, जो कि फरियादी कल्पना का पिता है, यह कथन करता है कि आरोपीगण से उसकी लडकी का घरु कार्य के उपर से मुंहवाद हो गया था और उसी पर से

कहासुनी हो गयी थी जिसकी उसकी लड़की ने रिपोर्ट की थी। उपरोक्त दोनों साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए। सूचक प्रश्नों में भी उक्त साक्षीगण अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाईकिल व पचास हजार रुपये की मांग के लिए मारपीट करने के संबंध में अभियोजन के सुझाव से इंकार करते हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किया जाना अभियोजन के मामले को दुर्बल बना देता है।

8. प्रकरण में फरियादी कल्पना अ०सा० 1 रिपोर्ट प्र०पी० 1 में बी से बी भाग पर उल्लेखित तथ्य तथा कथन प्र०पी० 3 के ए से ए भाग के विनिर्दिष्ट तथ्यों को पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करती हैं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करती है कि उन्हें रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई गयी और रिपोर्ट में क्या लिखा था इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी वीरेन्द्र अ०सा० 2 भी सूचक प्रश्नों में पुलिस कथन प्र०पी० 4 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग को लिखाए जाने से इंकार करते हैं। अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्र०पी० 1 पर फरियादी के हस्ताक्षर हैं और अभियुक्तगण के संबंध में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है ऐसी दशा में साक्षीगण असत्य कथन कर रहे हैं। साक्षियों ने राजीनामा के तथ्य को तो स्वीकार किया है किन्तु उसके कारण असत्य कथन किए जाने का सुझाव अस्वीकार किया है। यहां उल्लेखनीय है कि जहां तक प्र०पी० 1 की प्राथमिकी का प्रश्न है तो साक्षी द्वारा उस पर लिखे तथ्यों के संबंध में इंकार किया है तथा प्राथमिकी व दफ़्त की धारा 161 के कथन स्वयं सारवान साक्ष्य नहीं होते हैं। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त- ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्त के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टान्त के प्रकाश में प्राथमिकी प्रपी० 1 पर हस्ताक्षर मात्र होने से उसके संबंध में विपरीत मत नहीं निकाला जा सकता है।

9. न्यायदृष्टान्त- शैलेन्द्र सिंह वि. म.प्र.राज्य 2005(2) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 228 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी महिला पर किया गया प्रत्येक प्रहार क्रूरता की परिभाषा में केवल उसी स्थिति में आयेगा जब यह महिला को आत्महत्या करने के लिये गहरी क्षति पहुँचे या उसके महत्वपूर्ण अंगों को खतरा उत्पन्न करने या दहेज हेतु उत्पीड़न देने के लिये प्रयुक्त किया जाये।

10. संहिता की धारा 498 ए में उपबंधित है

“जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।”

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कूरता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

- (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है,” या
- (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

कूरता के संबंध में विभिन्न समयों पर मान० न्यायालय द्वारा अपने न्यायदृष्टांतों में कूरता की परिभाषा को स्पष्ट किए जाने हेतु अपना निष्कर्ष दिया। संहिता की धारा 498क के अधीन कूरता का अपराध गठित किये जाने संबंधी न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णय— 2007(भाग-3)जे.एल.जे.327पी.के.बाचसुपति विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008(भाग-2)जे.एल.जे.19 लाखन लाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008(भाग-1) जे.एल.जे. 346 भगवती बाई विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा 2009 (भाग-1) जे.एल.जे. 291 लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य की ओर आकर्षित होता है जिनमें यह प्रतिपादित किया है कि कूरता और दहेज की मांग के बारे में स्पष्ट और तर्कपूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य हो तभी उस पर विश्वास किया जाना चाहिए।

11. इस मामले में फरियादी कल्पना अ०सा० 1 द्वारा घरेलू कार्य के कारण आरोपीगण से मुंहवाद व कहासुनी होने का तथ्य अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है जो कि उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में किसी भी दृष्टि से कूरता की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अभियोजन का मामला स्वयं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

12. अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 498 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर संहिता की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

13. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन सामांजिक की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।



14. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)